Starred Assembly Question No. 69

Guidelines for making Pink Card

***69** **Ch. AFTAB AHMED (NUH):** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the total number of families to whom the ration have not being provided in January, 2023 due to discontinuation of the ration card in December, 2022 after formation of ration card on the basis of Parivar Pehchan Patra in State;

b) whether it is a fact that the income must be less than Rs. 1,80,000/- for making BPL card; and

c) if so, the guidelines for making Pink card and the income fixed for the purpose?

Reply: **Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana**

1. Sir, the detailed reply is placed on the table of House.

Answer:- Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

a) 8,41,817 ineligible families have not been provided ration for the month of January, 2023 due to discontinuation of their ration cards in December, 2022 as all these families have been found ineligible on the basis of the data provided by CRID. It is further submitted that ration has been allocated to 31.59 lakh BPL/AAY families for the month of January, 2023 as compared to 26.94 lakh families for the month of December, 2022.

b) Yes, it is a fact that the income must be less than Rs.1.80 lakh per annum for making Priority Household (BPL) ration card. The eligibility criteria for identification/inclusion of a family as Priority Household (BPL household) in the State has been issued by the Rural Development Department and Urban Local Bodies, Haryana vide their notification dated 03.08.2022 and 31.08.2022 respectively and the beneficiaries are identified accordingly by CRID, Haryana.

c) Pink cards/AAY have been issued to 3.02 lakh families, as fixed by the Government of India under the National Food Security Act, 2013 to the families who are at the bottom of the list of families having income less than 1.80 lakh per annum.

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 69

गुलाबी कार्ड बनाने के लिए दिशानिर्देश

*69 चौ0 आफताब अहमद (नूंह) : क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपया करेंगे किः-

क) राज्य में उन परिवारों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें परिवार पहचान पत्र के आधार पर राशन कार्ड बनने के पश्चात् दिसम्बर, 2022 में राशन कार्ड के कट जाने के कारण जनवरी, 2023 में राशन उपलब्ध नही कराया जा रहा है;

ख) क्या यह तथ्य है कि बी.पी.एल. कार्ड बनाने के लिये रूपये 1,80,000 से कम आय होनी चाहिए; तथा

ग) यदि हां, तो गुलाबी कार्ड बनाने के लिए दिशा-निर्देश क्या हैं तथा इस उद्देश्य के लिए निश्चित की गई आय क्या है?

जवाबः दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

1. महोदय, विस्तृत उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है।

उत्तरः- **दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा**

क) 8,41,817 अपात्र परिवारों को दिसंबर, 2022 में उनके राशन कार्ड कटने के कारण जनवरी, 2023 माह का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि ये सभी परिवार नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर अपात्र पाए गए हैं। दिसंबर, 2022 के महीने के 26.94 लाख परिवारों की तुलना में जनवरी, 2023 के महीने के लिए 31.59 लाख बीपीएल/एएवाई परिवारों को राशन आबंटित किया गया है।

बी) हां, यह एक तथ्य है कि प्राथमिक (बीपीएल) राशन कार्ड बनाने के लिए आय प्रति वर्ष 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। राज्य में प्राथमिक परिवार (बीपीएल) के रूप में एक परिवार की पहचान/शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा क्रमशः उनकी अधिसूचना दिनांक 03.08.2022 और 31.08.2022 द्वारा जारी किया गया है और तदानुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई है।

ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 3.02 लाख परिवारों को गुलाबी कार्ड/एएवाई जारी किए गए हैं, ऐसे परिवार जो प्रति वर्ष 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों की सूची में सबसे नीचे हैं।